



भा0कृ0अनु0प0-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान

ICAR-Indian Institute of Pulses Research

कल्यानपुर, कानपुर (उ0प्र0)-208024

(AN ISO 9001:2008 CERTIFIED INSTITUTE)

GSTIN - 09KNPI01091G1DP

Fax :091-512-2580992 {EPABX Exchange} 2580994,2580995, 2582580 Ext. 229

दिनांक:13.11.2020

मि0सं0:- यू.पी.78 एन.6075/वाहन/नीलामी/2020/

नीलामी सूचना संख्या:01/02/2020/एस.टी./आई.आई.पी.आर.

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, आई. सी. ए. आर.- भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्यानपुर, कानपुर - 208 024 द्वारा टाटा सूमो (यु.पी.78 वी. 6827), अम्बेसडर (यु.पी.78 यू. 9139) एवं मिनी बस (यु.पी.78 एन. 6075) जहाँ है जैसी हालत में है के आधार पर बोली द्वारा नीलामी किया जाना है जो संस्थान के मुख्य परिसर के निम्न स्थान, तिथि एवं समय पर की जाएगी।


1. वाहन:- टाटा सूमो (यु.पी.78 वी. 6827), अम्बेसडर (यु.पी.78 यू. 9139) एवं मिनी बस (यु.पी.78 एन. 6075)।

2. स्थान:- संस्थान के मुख्य परिसर के चट्टा पर।

3. नीलामी की तिथि व समय:- 20/11/2020, समय 2:30 बजे दोपहर।

नियम एवं शर्तें:-

1. प्रत्येक भागित फर्म को मिनी बस के मामले में रूपये 10000/- तथा अन्य दो वाहनों (टाटा सूमो एवं अम्बेसडर) के मामले में रूपये 5000/- प्रति वाहन प्रतिभूति राशि अपराह्न 1.00 बजे से 2.00 बजे तक संस्थान के श्री प्रोमित डायस, रोकड़िया के पास जमा करना होगा जो नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सफल फर्म की जमानत राशि को रोककर उसी समय सभी असफल फर्मों को जमानत राशि वापस कर दिया जाएगा।
2. निष्प्रयोज्य टाटा सूमो (यु.पी.78 वी. 6827), अम्बेसडर (यु.पी.78 यू. 9139) एवं मिनी बस (यु.पी.78 एन. 6075) को दिनांक 20.11.2020 को अपराह्न 1.00 बजे से 2.00 बजे तक देखी जा सकती है। जिस बोली लगाने वाले की बोली स्वीकार होगी उसे पूरी धनराशि तुरन्त जमा करना होगा तथा नीलामी वाहन उन्हें अपने खर्च पर उसी दिन ले जाना होगा। नीलामी के पश्चात नीलाम हुए वाहन की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
3. टाटा सूमो (यु.पी.78 वी. 6827), अम्बेसडर (यु.पी.78 यू. 9139) एवं मिनी बस (यु.पी.78 एन. 6075) के मामले में सफल खरीददारों के द्वारा उक्त वाहनों का प्रयोग किया जाता है तो उस दौरान वाहनों से जो भी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी स्वयं नीलामी पाने वाली फर्म की होगी।
4. सभी वाहनों का पंजीयन संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है। सभी वाहनों का पंजीयन स्थानीय सम्भागीय विभाग (आर.टी.ओ.) में जमा कर दिया गया है।
5. शासन के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार टैक्स आदि अलग से देना होगा।
6. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्यानपुर, कानपुर-208024 के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

  
(कुमार विवेक)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. सभी सूचना पट, मुख्य परिसर, भा.द.अ.सं., कानपुर।
2. सूचना पट, नवीन शोध परिसर, भा.द.अ.सं., कानपुर।
3. सार्वजनिक स्थान (बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन इत्यादि), कानपुर।